

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-30/6/15

अधिसूचना सं०-17/ए 3-06/2015 - 396 (17) / स्वा०, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2008 एवं (संशोधन) नियमावली 2013 के आलोक में सुपर स्पेशिएलिटी विभागों में सीनियर रेजिडेंट के टेन्योर पदों पर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बाह्य चिकित्सकों को निम्नांकित शर्तों के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।

2. संबंधित स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है, वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा। वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जाएगी।
3. बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे०-5400/- अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा।
4. टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक अपने पैतृक संवर्ग में वापस हो जायेंगे। धारित पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं करेंगे/मान्य नहीं होगा।
5. नियंत्रि पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित चिकित्सकों को तुरत विरमित कर देंगे। सभी चिकित्सकों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नवपदस्थापित स्थान पर तुरत (अधिकतम तीन दिन) अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लें।
6. योगदान के समय संबंधित महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक, ट्यूटर/सीनियर रेजिडेंट के लिए अहर्ता संबंधी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं आरक्षण कोटि के प्रमाण पत्रों की जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा। विसंगति पाये जाने पर पूर्ण विवरण सहित विभाग को सूचित करेंगे।

शिशु सर्जरी विभाग (सीनियर रेजिडेंट)				
क्रम सं०	चिकित्सक का नाम	कैटेगरी	आरक्षण कोटि	पदस्थापन स्थान
1.	डा० प्रदीप नंदन	बी०एच०एस०	पि०वर्ग (सामान्य)	पटना चिकित्सा महाविद्यालय अ०, पटना।
2.	डा० विजय कुमार गुप्ता	बी०एच०एस०	अ०पि०व०	पटना चिकित्सा महाविद्यालय अ०, पटना।

नियोनेटोलॉजी विभाग (सीनियर रेजिडेंट)				
क्रम सं०	चिकित्सक का नाम	कैटेगरी	आरक्षण कोटि	पदस्थापन स्थान
1.	डा० संजय कुमार	बी०एच०एस०	सामान्य	पटना चि० महा० अ०, पटना।
2.	डा० अनिमेष कुमार	पी०जी०ओ०	अ०पि०व०	पटना चि० महा० अ०, पटना।

न्यूरोसर्जरी विभाग (सीनियर रेजिडेन्ट)

क्रम सं०	चिकित्सक का नाम	कैटेगरी	आरक्षण कोटि	पदस्थापन स्थान
1.	डा० अनिल कुमार	बी०एच०एस०	अनु०जा० (सामान्य)	अनु०ना०म०चिकि०महा० अ०, गया
2.	डा० अनिल कुमार सिंह	पी०जी०एस०	पि०वर्ग (सामान्य)	पटना चिकित्सा महाविद्यालय अ०, पटना।
3.	डा० वीरेन्द्र कुमार	पी०जी०एस०	अ०ज०जा० (सामान्य)	ज०ला०ने०चि०महा०अ०, भागलपुर
4.	डा० मनीष कुमार धीरज	पी०जी०ओ०	सामान्य	दरभंगा चि०महा०अ०, ल०स०
5.	डा० ऋषिकांत सिंह	पी०जी०ओ०	सामान्य	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अ०, मुजफ्फरपुर।

नेफ्रोलॉजी विभाग (सीनियर रेजिडेन्ट)

क्रम सं०	चिकित्सक का नाम	कैटेगरी	आरक्षण कोटि	पदस्थापन स्थान
1.	डा० नसर जुबैर	पी०जी०एस०	अ०पि०वर्ग	पटना चिकित्सा महाविद्यालय अ०, पटना।
2.	डा० संजय कुमार	पी०जी०एस०	अनु०जा०	पटना चिकित्सा महाविद्यालय अ०, पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(शेखर चन्द्र ब्रम्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 17/ए 3-06/2015 - 396 (17) पटना, दिनांक :- 30/6/15

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना /संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य (श्री शर्मा)/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा-17) स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-1,2,3,9 एवं 17, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।